भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Integrated Regional Office, Chandigarh

मिसिल संख्या -: 9-HRB190/2021-CHA **दिनांक : August, 2022**

सेवा में

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
हरियाणा सरकार,
हरियाणा सिविल सचिवालय,
चण्डीगढ - 160001(fcforest@hry.nic.in)

विषयः- Diversion of 0.3758 ha. (0.0918 ha. in Rohtak Division and 0.284 ha. in Charkhi Dadri Division) of forest land in favour of Executive Engineer, T.S.Division, HVPNL, Bhiwani for construction of 132 KV S/C on D/C Kalanaur-Manheru line crossing various strips of protected frorest land, under forest division and District Rohtak and Charkhi Dadri, Haryana. (Online Proposal No. FP/HR/Trans/118341/2021)

संदर्भ: i). प्र०मु०वन संरक्षक, हरियाणा के पत्र संख्या प्रशा डी तीन 9925/5232 दिनांक 02.12.2021.

ii). अति०प्र०मु०वन संरक्षक, हरियाणा के पत्र संख्या प्रशा डी तीन 9925/1479 दिनांक 08.08.2022.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भाकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-२ के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उपर्युक्त विषय हेतू 0.3758 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो को पूरी करने पर प्रदान की जाती है |

(A) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:-

i. प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाये |

ii. **WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में** माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC(vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रजैंट वैल्यु जमा करवाई जाये।

iii. प्रयोक्ता एजेंसी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाएगी।

iv. प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एनपीवी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को S -I clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

v. प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि Division में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है। इस आशय का एक वचन पत्र कि "इस Division के पास S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है" प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा। .

vi. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जाएगा और Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019, MoEF&CC के अध्याय 1 के पैरा 1.21 में निर्धारित अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

vii. **जब तक प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा S-I की शर्तों के अनुसार संपूर्ण शुल्क जमा नहीं किए जाते और मंत्रालय के वेब-पोर्टल पर ऑनलाइन पुष्टि नहीं की जाती, तब तक राज्य सरकार अस्थायी कार्य अनुमति जारी नहीं करेगा।**

viii. FRA प्रमाणपत्र की मूल प्रति चरखी दादरी मंडल द्वारा अपलोड/प्रदान की जानी है|

ix. सीए स्कीम में एनपीवी की राशि, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC(vol-I) दिनांक 06.01.2022 से प्रभावी नई दर के अनुसार वसूल की जानी है|

(B) **वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कडाई से पालन करने की आवश्यकता हैं, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-**

i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।

ii. प्रस्ताव के अनुसार कम से कम वृक्ष/पौधे काटे जायेंगे | प्रस्ताव के अनुसार चरखी दादरी वन-मंडल में काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या 112 और पौधों की संख्या 48 से अधिक नहीं होगी व रोहतक वन-मंडल में काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या 22 और पौधों की संख्या 126 से अधिक नहीं होगी |

iii. सीए योजना के अनुसार चरखी दादरी वन-मंडल में प्रतिपूर्ति पौधारोपण व अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण, 1216 पौधे(1.216 हेक्टयर क्षेत्र में), Compartment No. H43W6, Bass Minor RD 0 to tail, जिला- चरखी दादरी में वन भूमि पर किया जाएगा और धन उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा |

iv. सीए योजना के अनुसार रोहतक वन-मंडल में प्रतिपूर्ति पौधारोपण व अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण, 472 पौधे(0.472 हेक्टयर क्षेत्र में), Compartment No. H43W5, village-Nindana, Meham Minor, जिला-रोहतक में वन भूमि पर किया जाएगा और धन उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा |

v. नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होना चाहिए और परिपक्क वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।

vi. **राज्य सरकार प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि को गैर वानिकी कार्यो के लिए हस्तानान्तरण से पूर्व स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण (CA) क्षेत्र की KML फाइल को भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) के E-Green Watch पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगी |**

vii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा|

viii. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पंहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे|

ix. जब कभी भी NPV की राशि बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी |

x. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा |

xi. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा |

xii. वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा |

xiii. प्रस्तावित संचरण लाइन के लिए “रास्ते के अधिकार” की अधिकतम चौड़ाई वन भूमि पर **27** मीटर होगी |

xiv. प्रत्येक कंडक्टर के नीचे टेंशन सटरिंगिंग उपकरण लगाने के लिए **3.0** मीटर की चौड़ी पट्टी में निकासी की अनुमति दी जायेगी | परन्तु सटरिंगिंग कार्य खत्म होने पर प्राकृतिक सम्पोषण होने दिया जायेगा |

xv. कंडक्टर तथा पेड़ों के बीच का फासला कम से कम **4.0** मीटर होना चाहिए | कन्डक्टरों के झुकाव तथा झोल को ध्यान में रखा जायेगा | बिजली की निकासी बनाये रखने के लिये जब कभी आवश्यक होगा तो पेड़ों की काट छांट का कार्य स्थानीय वन मण्डल अधिकारी की अनुमति से किया जायेगा |

xvi. प्रयोक्ता एजेंसी जंगली जानवरों को बिजली के करंट से बचाने के लिए आवश्यक ग्राउंड क्लीयरेंस के अलावा उचित स्थानों पर सर्किट ब्रेकर स्थापित करेगी |

xvii. प्रयोक्ता एजेंसी राज्य वन विभाग से विचार-विमर्श करके संचरण लाइन के नीचे मार्गाधिकार में छोटे कद के पौधों, मुख्य रूप से औषधिय पौधों के रोपण, सृजन व रख-रखाव की विस्तृत योजना तैयार करेगी तथा उक्त योजना के निष्पादन के लिए राज्य वन विभाग को धन राशि उपलब्ध करायेगी |

xviii. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानत: वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके |

xix. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1980, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी|

xx. कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जायेगा |

xxi. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतू समय – समय पर लगाई जा सकती है |

xxii. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी ।

बेज नं. 24-25, सेक्टर-31 ए, चंडीगढ़-160030 / **Bays No.** 24-25, **Sector**-31 A**, Chandigarh**-160030
दूरभाष/Tel No : 0172-2638061 **Fax No :** 0172-2638135 **Email :** ronz.chd-mef@nic.in

4. उपरोक्त पैरा-2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा| ***केन्द्रीय सरकार की अन्तिम अनुमति दिये जाने तक वन भूमि का उपयोग नही किया जायेगा।***

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

Signed by Raja Ram Singh
Date: 26-08-2022 16:08:20
Reason: Approved

-sd-

(राजा राम सिंह)

उप-वन महानिरीक्षक(केन्द्रीय)

IRO, MoEF&CC, Chandigarh

प्रतिलिपि:-

1. वन महानिरीक्षक(वन), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्द्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग़, अलीगंज, नई दिल्ली।(fcdiv-mefcc@gov.in)
2. The Pr. Chief Conservator of Forests (HoFF), Department of Forests, Government of Haryana, C-18, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. (pccf-hry@nic.in)
3. The CCF-cum-Nodal Officer (FCA), Department of Forests, Government of Haryana , C-18, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana (cffcpanchkula@gmail.com)
4. The CEO, CAMPA O/o PCCF (HoFF), Department of Forests, Government of Haryana , C-18, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana.(www.haryanacampa@gmail.com)
5. The Divisional Forest Officer, Forest Division & District Rohtak, Charkhi Dadri, Haryana.
6. The SDO, TS Division, HVPNL, District-Bhiwani. (sdoconsthvpnbhiwani@gmail.com)

बेज नं. 24-25, सेक्टर-31 ए, चंडीगढ़-160030 / **Bays No.** 24-25, **Sector**-31 A**, Chandigarh**-160030
दूरभाष/Tel No : 0172-2638061 **Fax No :** 0172-2638135 **Email :** ronz.chd-mef@nic.in